बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः–......................../ पटना, दिनांक.......................

03/उ0नि0/योजना(प्रचार एवं प्रकाशन)-13/2013

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रचार एवं प्रकाशन योजना हेतु कुल ₹100.00 लाख (एक सौ लाख) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या 3116, दिनांक 07.08.2015 एवं विभागीय शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं0–709, दिनांक–18.02.16 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रचार एवं प्रकाशन योजना हेतु **₹100.00** लाख (एक सौ लाख) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास के लिए विभागीय योजनाओं तथा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति एवं अन्य विभागीय नीतियों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना है। ताकि राज्य में अधिक से अधिक पूँजी निवेश एवं उद्योग धंधा स्थापित हो सके। उद्यमियों को बुकलेट, पुस्तिका, बुलेटिन, प्रोजेक्ट प्रोफाइल, औद्योगिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन एवं भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं आदि का बुकलेट, के रूप में प्रकाशित कर उद्यमियों को सेमिनार एवं मेला में वितरित किया जाएगा। Electronic Media इत्यादि के माध्यम से दी जाने वाली सूचनाओं/विज्ञापण पर होने वाली व्यय का वहन उक्त स्वीकृत राशि से की जानी है। साथ ही साथ राज्य तथा राज्य से बाहर समय–समय पर आयोजित होने वाले सेमिनार, मेला–प्रदर्शनी/Expo शो इत्यादि में उपलब्ध कराये गये स्टॉल/स्पेस के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार, सेमिनार, कार्यशाला, Roadshow हेतु होने वाली व्यय का भी भुगतान इस योजना के अंतर्गत उक्त स्वीकृत राशि से किया जायेगा।

3. इसके अतिरिक्त विभागीय योजनाओं को जन–जन तक पहुचाने एवं जागरूक करने के उद्धेश्य से राज्य में प्रत्येक जिला के मुख्य स्थानों पर होडिंग के माध्यम से लोगो को जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी। होडिंग एवं विज्ञापन का कार्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाएगा। आवश्यक्ता पड़ने पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा राशि की अधियाचना करने पर उक्त स्वीकृत राशि से व्यय किया जाएगा।

4. इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय बजट मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80–सामान्य, लघु शीर्ष 001–निदेशन तथा प्रशासन, माँग संख्या–23, उप शीर्ष 0110–विभागीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रकाशन योजना, विपत्र कोड P2852800010110, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5654, विषय शीर्ष 26 01 विज्ञापन और प्रकाशन मद से विकलित होगा, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के मूल आय–व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें। जो इस स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एकमुश्त अग्रिम के रूप में कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगें जो भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, शाखा, पटना को भुगतेय होगी। राशि की निकासी बी0टी0सी0–26 पर की जायेगी।

6. योजना के लेखा–जोखा का पूर्ण जिम्मेवारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें।

7. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो उसका अनुश्रवण करेंगे। योजना के व्यय से संबंधित व्यय विवरणी एवं मूल प्रमाणक समुचित जाँचोपरांत प्रतिहस्ताक्षरित कर DC विपत्र महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेगें।

क्रमशः पृ0: 02 पर...

8. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 वि0, दिनांक–20.05.14 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।

9. योजना का कोड नं0–IND-5654 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय तथा व्यय प्रतिवेदन में योजना कोड अवश्य अंकित करेंगे।

10. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या–*03/उ0नि0/योजना(प्रचार एवं प्रकाशन)–13/2013* के पृष्ट–**42**/टि0 पर दिनांक **02.06.2016** को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या–**843/IDC**, दिनांक–20.05.2016 है।

11. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–*03/उ0नि0/योजना(प्रचार एवं प्रकाशन)–13/2013* के पृष्ट–**64**/टि0 पर दिनांक **21.03.2017** को प्राप्त है।

12. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि0(2) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–2 एवं 15 एवं पत्रांक 2938 वि (2) दिनांक 08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 की कंडिका–15 के आलोक में उक्त स्वीकृत राशि की अग्रिम निकासी हेतु शिथलिकरण के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

14 वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
03/उ0नि0/योजना(प्रचार एवं प्रकाशन)–13/2013
पटना, दिनांक...............

प्रतिलिपि.–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
03/उ0नि0/योजना(प्रचार एवं प्रकाशन)–13/2013
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि.–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 794/
03/उ0नि0/योजना(प्रचार एवं प्रकाशन)–13/2013
पटना, दिनांक 23.3.17

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इन्दिरा भवन, रामचरित्र पथ, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा–3(उ0नि0), को तीन प्रतियों में/ प्रशाखा–1 योजना (स0) को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।